(2022) 17, एस.सी.आर. 681

भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड

बनाम

क्षेत्रीय निर्देशक राज्य कर्मचारी बीमा निगम एवं अन्य

विशेष अनुमति याचिका (सी) नंबर 13554-13555/2022

18 अगस्त, 2022

(एम. आर. शाह और पी. एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्तिगण)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948- क्या बीसीसीआई , ई.एस.आई. अधिनियम के तहत ''दुकान '' है-अभिनिर्धारित किया गया कि बीसीसीआई को ''दुकान'' कहे जाने के लिए ई एस आई एक्ट के प्रावधान आकर्षित होते हैं-बीसीसीआई की क्रिकेट मैच के टिकटों के विक्रय, मनोरंजन प्रदानकर्ता, कीमत के बदले सेवा आदि दिए जाने संबंधी बीसीसीआई की व्यवस्थित गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए ई एस आई न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा सही निष्कर्ष दिया गया कि बीसीसीआई व्यवस्थित, आर्थिक, वाणिज्यिक गतिविधि करती है इसलिये उसके संबंध में ई एस आई अधिनियम के तहत ''दुकान'' के प्रावधान आकर्षित होते हैं-ई एस आई न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण करने के उपरान्त यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बी.सी.सी.आई. एक लाभ कमाने वाली संस्था है और मनोरंजन उद्योग में संलग्न है, क्योंकि वह टिकटों का विक्रय कर अपने ग्राहकों को उनकी कीमत के बदले मनोरंजन उपलब्ध कराती है इसलिये उसे अपने पात्र कर्मचारियों को देय मजदूरी पर ई.एस.आई. अंशदान का लाभ विस्तारित करना चाहिए-निकाले गए निष्कर्ष साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित है इसलिए अनुच्छेद 136 की अधिकारिता का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप आपेक्षित नहीं है-उच्च न्यायालय द्वारा बी.सी.सी.आई को ''दुकान'' मानते समय ई.एस.आई. अधिनियम की प्रयोज्यता पर विचार करते समय बी.सी.सी.आई. के मेमोरण्डम ऑफ एसोसिएशन के सुसंगत प्रावधानों को विचार में लिया गया था-मेमोरण्डम ऑफ इसोसिएशन को समग्रता से विचार में लिया जाना अपेक्षित है-साथ ही, ई एस आई अधिनियम एक कल्याणकारी कानून है इसलिये उसके अधिनियमन के उद्देश्यों जैसे कि बीमारी की दशा में कर्मचारियों को कुछ लाभ प्रदान करना, महिला कर्मचारी की स्थिति में प्रसूति सुविधा, नियोजन के दौरान क्षति आदि की प्राप्ति के लिए वृहद रूप से अर्थान्वयनन किया जाना चाहिए-ई.एस.आई. न्यायालय और उच्च न्यायालय के प्रश्नगत आदेशों में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है-भारत का संविधान-अनुच्छेद 136

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948-प्रयोज्यता-विचार की गई

संविधियों का निर्वचन-अभिनिर्धारित किया गया है कि दो संविधियों को एक दूसरे के साथ तब ''पैरी मटेरिया'' कहा जाता है जब वे समान विषय वस्तु के संबंध में प्रावधान उपबंधित करते हैं-किसी विशिष्ट संविधि में प्रयोग किए गए शब्दों को भिन्न संविधि में प्रयुक्त शब्द के निर्वचन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में कि दोनो संविधियां एक दूसरे की ''पैरी मटेरिया'' नहीं है और एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न स्कीम धारण करती हों।

बैंगलोर टर्फ क्लब लिमिटेड बनाम रीजनल डायरेक्टर इम्पाईस स्टेट इंश्योरेंस कार्पोरेशन **2014 (9) एस.सी.सी. 657: (2014) 8 एस0सी0आर0 1021-अनुसरण किया गया।**

सेक्रेट्री मिनिस्ट्री आफ इन्फारमेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग गवरमेंट ऑफ इण्डिया एवं अन्य बनाम क्रिकेट एसोसियशन ऑफ बंगाल एवं अन्य **(1995) 2 एस.सी.सी. 161: (1995) 1 एस.सी.आर. 1036,** कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स बनाम साई पब्लिकेशन फण्ड **(2002) 4 एस.सी.सी. 57: (2002)2 एस.सी.आर. 743-अभिनिर्धारित किया गया कि लागू नहीं होगे।**

रीजनल डायरेक्टर ई.एस.आई. कार्पोरेशन बनाम फ्रांसिस डे कोस्टा **1993 सुप. (4) एस.सी.सी. 100: (1992)3 एस.सी.आर. 23,** इंश्युरेंस कार्पोरेशन व अन्य **(2000) 1 एस.सी.सी. 332, (1999) 4 सुपली एस.सी.आर. 393,** बुकिंघम एण्ड कर्नाटिक को.लि. बनाम व्यंकटेह **(ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 1272): (1964) एस.सी.आर. 265,** बांबे आनंद भवन रेस्टोरेंट बनाम डिप्टी डायरेक्टर, इम्प्लाइस स्टेट इंश्युरेंस कार्पोरेशन **(2009)9एस.सी.सी.61: (2009)13एस.सी.आर. 1139-**

संदर्भित न्याय दृष्टांत

(2014)8 एस.सी.आर. 1021	भरोसा किया गया	पैरा 2.2
(1995)1 एस.सी.आर. 1036	लागू ना होने योग्य अभिनिर्धारित	पैरा 4.1
(2002)2 एस.सी.आर. 743	लागू ना होने योग्य अभिनिर्धारित	पैरा 4.1
(1992)3 एस.सी.आर. 23	रेफर किया गया	पैरा 8.1
(1999)4 सुप.एस.सी.आर. 393	रेफर किया गया	पैरा 8.1
(1964) एस.सी.आर. 265	रेफर किया गया	पैरा 8.1
(2009)13 एस.सी.आर. 1139	रेफर किया गया	पैरा 8.1

बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल फार क्रिकेट इन इण्डिया बनाम रीजनल डायरेक्टर इम्प्लाईस स्टेट इंश्युरेंस कार्पोरेशन

सिविल अपीलेट क्षेत्राधिकारिता:विशेष अनुमति याचिका (सी) नंबर 13554-13555/2022

बाम्बे हाई कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर की प्रथम अपील एस.टी. नंबर 25980/2021 मय अपील क्रमांक 25980/2021 की अंतरिम याचिका क्रमांक 1026/2022 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 24.06.2022 से उद्भूत

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री नीरज किशन कौल ,वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव मुखर्जी, कनु अग्रवाल, श्रीमती बिहू शर्मा, सुश्री प्रतिष्ठा विज, अक्षय सी. श्रीवास्तव, ध्रुव शर्मा, राघव अग्रवाल

गैरयाचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री मनीष कुमार सरन, सत्या पी. शर्मा

न्यायालय का आदेश पारित

द्वारा न्यायमूर्ति श्री एम.आर. शाह

1. बाम्बे हाई कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर की अपीलार्थी बोर्ड आफ कन्ट्रोल फार क्रिकेट इन इण्डिया (जिसे आगे ''बी.सी.सी.आई.'' कहकर निर्दिष्ट किया गया है) द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील एस.टी. नंबर 25980/2021 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.06.2022 से व्यथित और असंतुष्ट होकर यह याचिका प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपील निरस्त की गयी जो कि बाम्बे की इम्प्लाईस इंश्योरेंस कोर्ट के आदेश दिनांक 09.09.2021 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया कि इम्प्लाईस स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, 1948 (जिसे आंगे ''ई.एस.आई. एक्ट,'' कहकर निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 1(5) के प्रावधान के तहत महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.09.1978 के तहत ''दुकान'' के अर्थ की परिधि में बी.सी.सी.आई. आती है और प्रकरण बी.सी.सी.आई. की ओर से अंशदान अभिनिर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया जिससे व्यथित होकर ये विशेष अनुमति याचिकाएं बी.सी.सी.आई. के द्वारा प्रस्तुत की गई है।

2.क्षेत्रीय निर्देशक इम्प्लाईस स्टेट इंश्योरेस कार्पोरेशन मुम्बई द्वारा जारी पत्राचार दिनांक 22.06.2011 द्वारा यह संसूचित किया गया कि ई.एस.आई. एक्ट के प्रावधानों के तहत दिनांक 01.01.2007 से बी.सी.सी.आई. आती है और ई.एस.आई. एक्ट के प्रावधानों की प्रयोज्यता को निर्दिष्ट करने वाले कोड नंबर को बी.सी.सी.आई. को आबंटित किया गया। बी.सी.सी.आई. को प्रोफार्मा सी-18 दिनांक 01.07.2014 के तहत नोटिस प्रेषित कर कर्मचारी

राज्य बीमा अंशदान राशि के रूप में अंशदान राशि 5,04,075 रूपये मई 2007 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए ई.एस.आई. अधिनियम के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए मांग की गई। ई.सी.सी. आई द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि ई.एस.आई.एक्ट के प्रावधानों के तहत बी.सी.सी.आई. को ई.एस.आई. एक्ट की धारा 2(1) सहपठित कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) रेगुलेसन्स, 1950 के रेगुलेसन 10बी के उल्लंघन में बी.सी.सी.आई. सम्मिलित किया गया है। चूंकि बी.सी.सी.आई. का प्राथमिक लक्ष्य क्रिकेट के खेल को पूरे देश में नियंत्रित, प्रशासित और बढ़ावा देने का है इसलिए वह मुम्बई शॉप एण्ड स्टेबिल्समेंट एक्ट के प्रावधानों के तहत ''दुकान'' शब्द की परिधि में ना तो आती है ना ही पंजीबद्ध है। बी.सी.सी.आई. की ओर से यह भी कहा गया कि वह प्राथमिक रूप से किसी प्रकार की व्यवसायिक या वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं है इसलिये उस पर ई.एस.आई. एक्ट की धारा 1 (5) लागू नहीं होती।

2.1ई.एस.आई. अधिनियम की धारा 45ए के तहत पारित आदेश के विरूद्ध एक अपील राज्य कर्मचारी न्यायालय, बाम्बे जिसे आगे ''ई.एस.आई. कोर्ट'' कहा गया है के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसके द्वारा जून 2010 से मार्च 2014 की अवधी की अंशदान राशि 493350/- रू निर्धारित की गई थी। अपने समक्ष प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों, जिसमें बीसीसीआई का मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन, नियम और विनियम, उनकी वार्षिक रिपोर्ट शामिल करते हुए ई.एस.आई. कोर्ट द्वारा अपने विस्तृत निर्णय व आदेश में निष्कर्ष दिया गया कि बी.सी.सी.आई. की गतिविधि विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक गतिविधि मानी जा सकती है। इसलिए ई.एस.आई. अधिनियम के प्रावधान बी.सी.सी.आई. पर लागू होंगे। ई.एस.आई. कोर्ट के द्वारा पारित यह निर्णय और आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील की विषय वस्तु था।

2.2उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य, बी.सी.सी.आई. द्वारा संचालित गतिविधियों और मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन के सुसंगत अंशों का मूल्यांकन करते हुए और इस न्यायालय के प्रकरण **बैंगलोर टर्फ क्लब लिमिटेड बनाम रीजनल डायरेक्टर एम्पलाइज स्टेट इंश्योरेंस कार्पोरेशन 2014 (9) एस सी सी 657** के निर्णय का अनुसरण करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा ई.एस.आई. कोर्ट द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों से सहमति दी गई कि बी.सी.सी.आई. को अधिसूचना दिनांक 18.09.1978 के अनुसार ''दुकान'' माना जा सकता है। इसलिए ई.एस.आई. एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत वह आती है और विशिष्ट रूप से यह पाते हुए निर्धारित किया गया कि बीसीसीआई की गतिविधियां ''दुकान'' की परिभाषा और ई.एस.आई. एक्ट के प्रावधानों की प्रयोज्यता के उद्देश्य से वाणिज्यिक गतिविधि मानी जा सकती है। परिणामतः आसोच्य निर्णय और आदेश द्वारा हाइकोर्ट द्वारा पृथक अपील को निरस्त किया गया, जो कि वर्तमान विशेष अनुमति याचिका की विषयवस्तु है।

3. याचिकाकर्ता बीसीसीआई की ओर से श्री नीरजकृष्ण कोल विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित हुए। और श्री मनीष कुमार सरन विद्वान अधिवक्ता गैरयाचिकाकर्ता ई. एस. आई. कॉर्पोरेशन की ओर से उपस्थित हुए।

4. याचिकाकर्ता बीसीसीआई की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरजकृष्ण कोल द्वारा उपस्थित होकर जो उच्च न्यायालय और ई. एस. आई. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया उसे पुनः प्रस्तुत किया गया और जोर देकर कहा गया कि बीसीसीआई की गतिविधियों को अधिसूचना दिनांक 18.09.1978 के अनुसार ''दुकान'' शब्द की परिभाषा में नहीं लाया जा सकता है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि बीसीसीआई द्वारा अर्पित राजस्व का उपयोग क्रिकेट खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसलिए बीसीसीआई को ''दुकान'' नहीं माना जा सकता है। अतः ई. एस. आई. एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होगे। उन्होंने बीसीसीआई से मेमोरण्डम ऑफ एसोसिएशन के 2 और 3 क्लॉज पर विशेष निर्भरता रखी।

4.1 याचिकाकर्ता बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कोल द्वारा यह कहा गया कि किसी विशेष इकाई को ''दुकान'' की परिभाषा में लाने के लिए और इस बात पर विचार करते हुए कि क्या ऐसी इकाई की गतिविधियों को वाणिज्यिक गतिविधियां कहा जा सकता है। ऐसी इकाई की पहले की प्रमुख गतिविधियों पर विचार किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि जहां तक बीसीसीआई का संबंध है। उसका प्राथमिक और प्रमुख उद्देश्य क्रिकेट को बढ़ावा देना है। यह भी कहा गया कि, यदि बीसीसीआई की पूर्व प्रभावी गतिविधियों पर विचार किया जाता है तो उस दशा में बीसीसीआई ''दुकान'' की परिभाषा में नहीं आएगा और इसलिए ई. एस. आई. अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगे। बीसीसीआई को अधिसूचना दिनांक 18.09.78 के अनुसार ''दुकान'' नहीं माना जा सकता है और ई. एस. आई. अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अपने इस तर्क के समर्थन में बीसीसीआई की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कोल द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण '' **सेक्रेटरी, मिनिस्टरी ऑफ इंफॉर्मेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एण्ड अदर्स बनाम क्रिकेट एशोसिएन ऑफ बंगाल एण्ड अदर्स, (1995) 2 एससीसी 161** '' साथ ही पश्चावर्ती प्रकरण '' **कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स बनाम साई पब्लिकेशन फंड, (2002) 4 एस सी सी 57** (पैरा 10, 11, 13 एवं 17) के निर्णयों पर भारी भरोसा किया।

5. गैर याचिकाकर्ता ई. एस. आई. कॉर्पोरेशन के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार सरन वर्तमान विशेष अनुमति याचिका का विरोध करते समय हमें ई. एस. आई. न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के द्वारा अभिलिखित उन विशिष्ट निष्कर्षो की ओर लेकर गए जिनमें यह तय किया गया कि बीसीसीआई को ''दुकान'' की परिभाषा में लाने के लिए

बीसीसीआई की गतिविधियों को वाणिज्यिक गतिविधि कहा जा सकता हैं। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि ई. एस. आई. न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री के मूल्यांकन करते हुए और मेमोरण्डम ऑफ एसोसिएशन के सुसंगत खंड (ई)(एफ)(के)(एम)(एन)(ओ)(पी)(आर)(एस) को विचार में लेते हुए, अपने निष्कर्ष अभिलिखित किए गए है। उन्होंने कहा कि ई. एस. आई. न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और यहां तक कि बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बयान पर भी विचार करने पर, यह विशिष्ट रूप से पाया और माना गया कि बीसीसीआई मनोरंजन और/या व्यवस्थित वाणिज्यिक गतिविधियों को अंजाम देने वाली संस्था है और बड़े पैमाने पर जनता के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करके लोक सेवा उपलब्ध कराने में संलग्न है। मनोरंजन के स्त्रोत के रूप में क्रिकेट को बढ़ावा दे रही है जिससे धन एकत्रित हो सके।

5.1 ई. एस. आई. कॉर्पोरेशन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि ई. एस. आई. अधिनियम एक कल्याणकारी विधान है और इसलिए, जैसा कि **बैंगलोर टर्फ क्लब लिमिटेड (उपरोक्त)** मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि ''दुकान'' शब्द का उदार अर्थान्वयन किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि जैसा कि उक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, चूंकि ई. एस. आई. अधिनियम बीमारी, महिला कर्मचारियों की दशा में प्रसूती, और रोजगार क्षति की स्थिति में, कुछ लाभ प्रदान करने के लिए पारित किया गया है। इसलिए ई. एस. आई. अधिनियम का उदार और कल्याणकारी निर्वचन प्राप्त होना चाहिए ताकि उसके विधायी उद्देश्य को प्राप्त हो सकें।

5.2 अब जहां तक याचिकाकर्ता बीसीसीआई के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए इस न्यायालय के **साई पब्लिकेशन फण्ड (उपरोक्त)** प्रकरण का संबंध है। ई.एस.आई. नियम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोर देकर प्रस्तुत किया गया कि, ई.एस.आई. अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते समय वह लागू नहीं होगा क्योंकि उक्त मामले के निर्णय आयकर अधिनियम से संबंधित है। उन्होंने कहा कि, जैसा कि **बैंगलोर टर्फ क्लब (उपरोक्त)** मामले में इस न्यायालय द्वारा पाया गया और अभिनिर्धारित किया गया है कि, किसी विशेष कानून में उपयोग किए शब्दों का उपयोग एक ही शब्द की व्याख्या करने के लिए एक अलग कानून में नहीं किया जा सकता हैै, विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में कि दोनों कानून एक दूसरे के साथ समान नहीं हैं और एक दूसरे से वह पूरी तरह भिन्न योजना के है। इस प्रकार यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इसके विपरीत इस न्यायालय के **बैंगलोर टर्फ क्लब लिमिटेड (उपरोक्त)** मामले का निर्णय, जो कि ई.एस.आई. अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा करता है। पूरे बल से लागू होगा।

5.3 उक्त तर्क प्रस्तुत करते हुए इस न्यायालय के **बैंगलोर टर्फ क्लब लिमिटेड (उपरोक्त)** प्ररकण के निर्णय पर भारी भरोसा करते हुए वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाओं को

निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

6. संबंधित पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना गया।

7. इस न्यायालय के विचार के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह रखा गया है कि

'' क्या बीसीसीआई को अधिसूचना दिनांक 18.09.1978 के अनुसार ''दुकान'' कहा जा सकता है और इस तरह से ई.एस.आई. अधिनियम के प्रावधान बीसीसीआई पर लागू होता है या नहीं ? ''

8. उक्त मुद्दे/प्रश्न पर विचार करते समय इस न्यायालय के **बैंगलोर टर्फ क्लब लिमिटेड (उपरोक्त)** प्रकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, सन्दर्भित करने और विचार करने की आवश्यकता है। जो कि वर्तमान मुद्दे का ईएसआई अधिनियम की प्रयोज्यता से संबंधित थे।

8.1 **बैंगलोर टर्फ क्लब लिमिटेड (उपरोक्त)** मामले में इस न्यायालय द्वारा यह पाया गया और अभिनिर्धारित किया गया कि श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा की एक योजना की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ईएसआई अधिनियम लागू किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित कानून एक कल्याणकारी कानून है। इसलिए उसे सुनिश्चित करने के लिए व्याख्या का उदार नियम अपनाया जाना चाहिए ताकि उसका लाभ उन श्रमिकों तक पहुंचे जिन्हें विधायिका की मंशा के आधार पर कवर करने की आवश्यकता है। उक्त निर्णय की कंडिका 17 में इस न्यायालय द्वारा ईएसआई अधिनियम के अधिनियमन के कारण और उद्देश्य पर विचार किया गया है और कंडिका 18 से 20 में इस न्यायालय के पहले के प्रकरण **रीजनल डायरेक्टर, ई.एस.आई. कॉर्पाेरेशन वर्सेस फ्रांसिस दि कोस्टा, 1993 सप. (4) एस.सी.सी. 100; ट्रांसपोर्ट कॉर्पाेरेशन ऑफ इण्डिया वर्सेस इम्प्लाईस स्टेट इंश्योरेंश कॉर्पाेरेशन एण्ड अदर्स, (2000) 1 एस.सी.सी. 332; वर्किंघम एण्ड कार्नेटिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड वी. वेंकेटेह (ए आई आर 1964 एस सी 1272) एण्ड बॉम्बे आनंद भवन रेस्टोरेंट बनाम डिप्टी डायरेक्टर, एम्लॉईस स्टेट इंश्योरेन्स कॉर्पोरेशन, (2009) 9 एस सी सी 61,** के निर्णयों पर विचार किया गया। उक्त निर्णयों में की गई सुसंगत टिप्पणियां इस प्रकार है:-

'' 18. ईएसआई कॉर्पोरेशन वी. फ्रंसिस डी कोस्टा (1993 सप.(4) एस सी सी 100), के मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि -

> ''5. इस अधिनियम में बीमारी, प्रसूति, रोजगार क्षति, व्यवसायिक रोग इत्यादि शामिल है। यह अधिनियम एक सामाजिक सुरक्षा कानून है। यह सुस्थापित विधि है कि अन्याय को रोकने और न्याय को बढावा देने के लिए तथा कल्याणकारी विधान के कारण और उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए, कानून का व्यापक निर्वचन किया जाना चाहिए, भले ही इसके लिए शाब्दिक निर्माण से अलग जाना पडे। न्यायालय को इसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 तथा उसकी प्रस्तावना में परिकल्पित आर्थिक और सामाजिक न्याय के मार्गदर्शी प्रावधानों से प्रकाश लेना चाहिए, जो कि कर्मकारों के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार को जीवंत और सार्थक

बनाएगा। राज्य को अनुच्छेद 39 (ई) के तहत श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने, अनुच्छेद 41 के तहत बीमारी और अक्षमता लाभों को सुरक्षित करने और अनु0 43 के तहत जीवन के सभ्य मानक प्रदान करने के लिए आदेशित किया गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनु0 25(2) के तहत और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कन्वेशन के अनुच्छेद 7(बी) के तहत चिकित्सा और विकलांगता/अक्षमता लाभों का अधिकार, मौलिक मानव अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार, एक मौलिक मानव अधिकार सामाजिक हमारे संविधान के सामाजिक आर्थिक न्याय और सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा में निहित है। एक कर्मचारी को चिकित्सा लाभ का सहवर्ती अधिकार उसका मौलिक अधिकार है। यह अधिनियम एक बीमित कर्मचारी के स्वास्थ्य के रखरखाव में सहायता करने का प्रयास करता है। व्याख्यात्मक प्रयास उपरोक्त को प्रभावी बनाने का होना चाहिए। इस प्रकार, चिकित्सा लाभ का अधिकार श्रमिक का एक मौलिक अधिकार है।

6. इसके अलावा, कानूनों की व्याख्या के क्षेत्र में भी, कानून का शासन विस्तार और पूर्ति की एक गतिशील अवधारणा है, जिसके लिए व्याख्या इस तरह दी जाएगी कि संविधान में परिकल्पित सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाया जा सके। कानून एक सामाजिक दिशा के रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया में एक सचेत प्रयास है। कानून और सामाजिक परिवर्तन के बीच संयोजन तभी प्रभावी होगा जब कानून का सामान्य सामाजिक जीवन के संदर्भ में आत्मनिरीक्षण किया जाएगा। कानून का जीवन तर्क नहीं बल्कि अनुभव रहा है। यह सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करने और आवश्यकताओं को महसूस करने का एक साधन है। लोगों से तनाव, अक्षमता, चोट आदि के समय में कर्मचारी को वैधानिक सुरक्षा और सहायता की आवश्यकता होती है। अधिनियम एक में बीमित रोजगार में नियोक्ता और कर्मचारी पर वैधानिक दायित्व रखता है कि वे अधिनियम (अधिनियम की धारा 38 से 51) के तहत गठित कल्याण निधि में निर्धारित अनुपात और तरीके से योगदान करें ताकि श्रमिकों को उनकी आवश्यकता के समय में निर्वाह प्रदान किया जा सके, विशेष रूप से जब वे अपने रोजगार या विकलांगता या मृत्यु के कारण आर्थिक रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं। यह तथ्य कि कर्मचारी ने अपनी मेहनत से अर्जित मजदूरी से निधि में योगदान दिया, यह निर्णय लेने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है कि क्या किसी कर्मचारी को लगी चोट या व्यावसायिक बीमारी रोजगार की चोट है या नहीं। दायित्व न तो किसी अनुबंध पर आधारित है और न ही नियोक्ता द्वारा किए गए किसी कार्य या चूक पर, बल्कि

उस संबंध के अस्तित्व पर आधारित है जो नियोक्ता उस रोजगार के साथ रखता है जिसके दौरान कर्मचारी घायल हो गया था। यह अधिनियम भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण क आधार पर नहीं, बल्कि कानून द्वारा की गई कार्रवाई का स्थान लेता है। लेकिन सामाजिक कल्याण के एक पहलू के रूप में पुर्नवास के लिए शारीरिक और आर्थिक रूप से विकलांग कर्मचारी, जिनकी किसी श्रमिक की मृत्यु के कारण उसके आश्रित बीमारी, क्षति या आजीविका प्रतिकूल रूप से प्रभावित है।

19. ई.एस.आई. के संदर्भ में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशो की पीठ ने ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम ई.एस.आई. कार्पोरेशन (2000) 1 एस.सी.सी. 332 में यह अभिनिर्धारित किया कि -

''27. इस बिन्दु पर चर्चा को समाप्त करने से पहले इस मुख्य तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि अधिनियम एक लाभकारी कानून है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की बीमारी, मातृत्व, रोजगार, चोट और कुछ अन्य इससे संबंधित मामले में लाभ प्रदान करना है। इसे सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने और उन कर्मचारियों को सुरक्षित बीमा कवर प्रदान करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया है, जिनके रोजगार के दौरान विभिन्न शारीरिक बीमारियों से पीड़ित होने की संभावना थी। इस तरह के लाभकारी कानून को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, इसका सही परिप्रेक्ष्य ताकि इसके अधिनियमन के अंर्तनिहित विधायी इरादे को फलीभूत किया जा सके। जब कर्मचारियों के दिये गये समूह के लिए इसकी प्रयोज्यता पर दो विचार संभव है तो उस दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो विधायी आशय को आगे बढ़ाता है.....

28. इसी अधिनियम के बारे में चर्चा करते हुये बकिंघम एवं कार्नेटेक कंपनी लिमिटेड बनाम वैंकट टइया ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 1272 के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशो की पीठ ने जस्टिस गजेन्द्र गड़कर के माध्यम से व्यक्त किया कि (जैसे कि वे तब थे), विद्वान अधिवक्ता श्री डोलिया का तर्क स्वीकार करते हुये अभिनिर्धारित किया कि:

'10....यह सामाजिक कानून का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उन श्रमिको को विर्निदिष्ट लाभ प्रदान करना है, जिन पर यह लागू होता है, और इसलिए, प्रासंगिक प्रावधानो को तकनीकि या संक्रीर्ण अर्थ में समझने का प्रयास करना अनुचित होगा। इस स्थिति पर विवाद नही किया जा सकता, लेकिन श्री डोलिया द्वारा उठायी गयी इस दलील से निपटने में कि अनुभाग का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए। हम इस तथ्य को नजरअंदाज

नही कर सकते है कि उदारवादी निर्माण अंततः अनुभाग में प्रयुक्त शब्दो से होना चाहिए, यदि अनुभाग में प्रयुक्त शब्द दो निर्माणों में सक्षम है, जिनमें से एक को अधिनियम के उद्देश्य की उपलब्धि में सहायता के लिए स्पष्ट रूप से दिखलाया गया है, अदालतों के लिए उस निर्माण को प्राथमिकता देना उचित होगा, जो अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है न कि जो कम करता है।'''

20. बॉम्बे आनंद भवन रेस्टोरेंट बनाम ई.एस.आई. कार्पोरेशन (2009) 9 एस.सी.सी. 61 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि -

''20. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक लाभकारी कानून है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जैसा कि प्रस्तावना से पता चलता है, किसी कारखाने के कर्मचारी को बीमारी, प्रसूती और रोजगार की चोट के मामले में लाभ प्रदान करना है एवं कुछ अन्य मामलो के संबंध में प्रावधान करना है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक सामाजिक सुरक्षा कानून है और सामाजिक कानून की व्याख्या करने के सिद्धांत कराधान कानून की व्याख्या के सिद्धांतो से भिन्न है। अदालतो को किसी भी ऐसे छल का समर्थन नही करना चाहिए जो प्रावधानो को विफल कर देगा। सामाजिक कानून और अदालतो को यदि आवश्यक हो तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिनियम की भाषा पर दबाव डालना चाहिए, जो विधायिका द्वारा इस कानून को विधि की पुस्तक में रखने के लिए प्रयुक्त की गयी हो। इसलिए अधिनियम को एक उदार निर्माण प्राप्त करना चाहिए, ताकि उसके उद्देश्यों को बढ़ावा मिल सके।''

8.1.1 यह कि इसके बाद कण्डिका 21 में निम्नानुसार यह पाया गया और अभिनिर्धारित किया गया कि

''21. विधायिका ने बीमारी के मामले में कर्मचारियों को कुछ लाभ प्रदान करने, महिला कर्मचारी के मामले में मातृत्व, रोजगार की चोट और उनके संबंध में कुछ अन्य मामलो में प्रावधान करने के लिए ई.एस.आई. अधिनियम लागू किया है। ई.एस.आई. अधिनियम के प्रावधान मौसमी कारखानो के अलावा अन्य कारखाने सभी पर लागू होते है। केन्द्र सरकार के मंजूरी से राज्य सरकार ई.एस.आई. अधिनियम के प्रावधानो को किसी अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानो पर लागू करने के लिए अधिकृत है। ई.एस.आई.अधिनियम के प्रावधानो में यह प्रावधान है कि कारखानो या प्रतिष्ठानो में सभी कर्मचारी जिस पर ई.एस.आई. अधिनियम लागू होता है, उसका बीमा ई.एस.आई. अधिनियम के तहत प्रदान किये गये तरीके से

किया जायेगा। चूंकि ई.एस.आई. अधिनियम बीमारी, मातृत्व और रोजगार की चोट के मामले में कर्मचारियों को कुछ लाभ प्रदान करने के लिए पारित किया गया है इसलिए यह आवश्यक है कि ई.एस.आई. अधिनियम को उदार बनाया जाये और अधिनियम की भाषा के प्रति कोई हिंसा किये बिना उदार और कल्याणकारी निर्माण के द्वारा विधायिका के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।''

8.1.2 इसके बाद जब ''स्थापना'' और ''दुकान'' शब्दो का निर्वचन किया जा रहा था, तब इन शब्दो की व्याख्या करते समय इसे कण्डिका 37, 38.6 और 39 से 42 में निम्नानुसार पाया गया है:

'37 ''स्थापना'' शब्द का अर्थ किसी व्यवसाय, व्यापार या पेशे उससे संबंधित या अनुसांगिक या सहायक कार्य को चलाने का स्थान होगा। यह सच है कि शब्दकोषों में व्यापार और वाणिज्य की परंपरागत भाषा है, लेकिन एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य में सामाजिक कल्याण के कानून के उद्देश्य के निर्माण में यह पूरी तरह से मान्य नही हो सकती है। यह पता लगाने की परीक्षा कि क्या व्यवसायिक गतिविधि ''स्थापना'' अभिव्यक्ति के अर्थ के अंतर्गत आती है या नही। यह गतिविधि वस्तुओं के उत्पादन या वितरण के लिए व्यवस्थित और आदतन की जाती है या व्यापार या व्यवसाय के रूप में कर्मचारियों की सहायता से समुदाय को सेवाएं एक उपक्रम यदि परिसर में कोई व्यवस्थित आर्थिक या व्यवसायिक गतिविधि चलती है, इसका पालन यह होगा कि जिस प्रतिष्ठान पर ऐसी गतिविधियां की जाती है, वह एक 'दुकान' है। इस न्यायालय में हैदराबाद रेस क्लब का मामला (ई.एस.आई. कार्पोरेशन बनाम हैदराबाद रेस क्लब (2004) 6 एस.सी.सी. 191 ध्यान में रखते हुये क्लब द्वारा की गयी व्यवस्थित व्यवसायिक गतिविधियों में माना गया कि रेस क्लब ई.एस.आई. अधिनियम की धारा 1 (5) के तहत जारी अधिसूचना एवं ई.एस.आई. अधिनियम के प्रावधानो तहत स्थापित विधि के सिद्धांतो के अनुक्रम में ''स्थापना शब्द'' की परिधि में आता है। इसीलिए उक्त निर्णय पुर्नविचार की अपेक्षा नही करता है।

XXXXXXXXX

38.6 उपरोक्त से यह कहा जा सकता है कि एक ''दुकान'' व्यवसाय का स्थान है। व्यवसाय का स्थान प्रतिष्ठान जहां सामान खुदरा ब्रिकी के लिए बेचा जाता है। हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि दी गई परिभाषायें शब्दकोश बहुत पुराने है और पूरी सटीकता के साथ यह

प्रतिबिंबित नहीं कर सकते है कि वर्तमान समय में ''दुकान'' को क्या कहा जा सकता है। इसलिए, इस पर विचार करना उचित होगा कि यह किस प्रकार किया जाए। न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णयों मे ''दुकान'' शब्द पर विचार किया है।

39. ई.एस.आई. अधिनियम के संबंध में ''दुकान'' शब्द पर इस न्यायालय द्वारा पहले के मामलों में चर्चा की गई है। हिन्दू जिया बैंड बनाम ई.एस.आई. कॉर्पोरेशन (1987) 2 एस सी सी 101ः ए आई आर 1987 एस सी 1166 में यह पाया गया कि एक ''दुकान'' वह स्थान होगी जहां सेवाएं खुदरा आधार पर बेची जाती है। इंटरनेशनल ओर एण्ड फर्टिलाइजर्स (इंडिया) (प्राइवेट लिमिटेड) बनाम ई.एस.आई. कॉर्पोरेशन (1987) 4 एस सी सी 203 के मामले में इस न्यायालय द्वारा कहा गया कि वह स्थान जहां वस्तुओं के क्रय-विक्रय से जुड़ी गतिविधियां संचालित होती है उसे ''दुकान'' कहा गया है। कोचीन शिपिंग कॉर्पोरेशन बनाम ई.एस.आई. कॉर्पोरेशन (1992) 4 एस सी सी 245 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि ''दुकान'' को एक ऐसी जगह माना जाना चाहिए जहां माल की खरीदी और ब्रिकी की व्यवसायिक गतिविधियां होती है। आर.के. स्वामी के मामले में ई.एस.आई. कॉर्पोरेशन बनाम आर.के. स्वामी (19945) 1 एस सी सी 445 के मामले में न्यायालय द्वारा ''दुकान'' शब्द के अर्थ को विस्तारित करते हुए उसमें सेवाओं के विक्रय को शामिल किया।

40. इसलिए, ''दुकान'' की कुछ बुनियादी विशेषताओं को उपरोक्त से निकाला जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि ''दुकान'' एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जहां वस्तुओं या सेवाओं की विक्री या खरीद के संबंध में एक व्यवस्थित या संगठित वाणिज्यिक गतिविधि होती है, और इसमें एक ऐसा प्रतिष्ठान शामिला होता है जो उपरोक्त लेनदेन को भी सुविधाजनक बनाता है।

41. ''दुकान'' शब्द ई.एस.आई. अधिनियम या अधिसूचना में परिभाषित नहीं है। ई.एस.आई. अधिनियम एक सामाजिक कल्याण्ध कानून है जिसका उद्देश्य सभी श्रेणियों से संबंधित श्रमिकों को यथासंभव लाभान्वित करना है, इसलिए इस तरह के कल्याणकारी कानून में शब्दों की व्याख्या करने में उदार होना चाहिए। एक दुकान की परिभाषा जिसका अर्थ है एक घर या इमारत जहाँ सामान बेचा या खरीदा जाता है, अब एक बड़े बदलाव से गुजरी है। अधिसूचना में आने वाले ''दुकान'' शब्द का उपयोग इसके

सामान्य अर्थ की तुलना में बड़े अर्थ में किया जाता है। अब आवश्यक क्या है, एक व्यवस्थित आर्थिक या वाणिज्यिक गतिविधि और वह उस जगह को ''दुकान'' के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त है।

42. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक ''प्रतिष्ठान'' को व्यवसाय का स्थान पाया गया है और आगे यह कि एक ''दुकान'' एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, यह कहा जा सकता है कि एक ''दुकान'' वास्तव में ''प्रतिष्ठान'' शब्द के अंतर्गत आती है, और इसे इसका एक उपसमुच्चय कहा जा सकता है।

8.1.3 यह कि इसके बाद और ऐसा देखने के बाद, इस न्यायालय ने विचार किया कि क्या टर्फ क्लब, ई.एस.आई. अधिनियम के लिए ''दुकान'' शब्द की परिभाषा के तहत आते हैं, और यह कंडिका 47 में निम्नानुसार देखा गया हैः

''47. यह अपीलार्थियों का मामला नहीं है कि क्लब सेवाएं प्रदान नहीं करता है। यह कहा जा सकता है कि दर्शकों को मनोरंजन का एक रूप प्रदान करने के अलावा उक्त सेवाएं जनता के सभी सदस्यों को केवल प्रवेश या प्रवेश शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध है। इसलिए, एकमात्र सवाल यह होगा कि क्या ऐसी सेवाओं को भारत में दुकान के समान माना जा सकता है। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो ऐसे रेस क्लब निश्चित रूप से ''दुकान'' शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते है और इस प्रकार ई.एस.आई. अधिनियम के तहत भी।''

8.1.4 उपरोक्त निर्णय में, यह विशेष रूप से देखा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ई.एस.आई. अधिनियम की योजना और संदर्भ में उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए। ई.एस.आई. अधिनियम में उपयोग किये गए शब्दों के साथ एक संकीर्ण अर्थ नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि ई.एस.आई. अधिनियम कवर किए गए प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उनके जीवन, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए विभिन्न जोखिमों के खिलाफ बीमा कराने का प्रयास करता है और उक्त भार नियोक्ता पर डालता है। यह भी देखा गया है कि ''दुकान'' शब्द को इसके पारंपरिक अर्थो में नहीं समझा जाना चाहिए और इसकी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह ई.एस.आई. अधिनियम के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। यह आंगे देखा गया है कि ई.एस.आई. अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ''दुकान'' शब्द एक विस्तृत अर्थ निर्धारित किया जा सकता है। यह आगे देखा गया है कि टर्फ क्लबों की गतिविधियां संगठित और व्यवस्थित लेन देन की प्रकृति में होती है और टर्फ क्लब सदस्यों के साथ-साथ जनता को भी प्रतिफल के बदले में सेवाएं प्रदान करते है, इसलिए, टर्फ क्लब ई.एस.आई. अधिनियम के तहत लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से एक ''दुकान'' है।

9. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर **बैंगलोर टर्फ क्लब लिमिटेड (उपरोक्त)** इस न्यायालय के मामले में प्रतिपादित विधि को लागू करते हुए, और बीसीसीआई द्वारा की जा रही व्यवस्थित गतिविधियों, जैसे कि क्रिकेट मैचों की टिकटो की ब्रिकी, मनोरंजन उपलब्ध कराना, कीमत के बदले सेवा प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय दौरों से आय प्राप्त करना और इंडियन प्रीमियर लीग से आय प्राप्त करना पर विचार करते हुए, ई.एस.आई. न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा यह उचित रूप से निष्कर्षित किया गया है कि बीसीसीआई व्यवस्थित आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और इसलिए, ई.एस.आई. अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए बीसीसीआई को ''दुकान'' कहा जा सकता है। ई.एस.आई. न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सुसंगत साक्ष्य/सामग्री का विश्लेषण करते हुए इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित किया गया कि बीसीसीआई व्यवस्थित वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न है और लाभ प्राप्ति की संस्था है और मनोरंजन उद्योग से जुड़ी है जैसा कि कीमत के टिकटो का विक्रय करते हुए ग्राहकों को मनोरंजन उपलब्ध कराना, और इसलिए उसे कवर होने वाले कर्मचारियों को देय वेतन पर ई.एस.आई. अंशदान में ऐसे लाभों को अपने कर्मचारियों पर विस्तारित करते हुए प्रदान करना चाहिए। ई.एस.आई. न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री के मूल्यांकन पर आधारित है जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा हस्ताक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

10. बी.सी.सी.आई. की ओर से निवेदन किया गया कि इसके लिए क्या आवश्यक है, प्रमुख गतिविधियों पर विचार किया जाना, और बी.सी.सी.आई. की प्रमुख गतिविधि क्रिकेट/खेलों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है और इसलिए, इसे इन उद्देश्यों के लिए ई.एस.आई. अधिनियम लागू करते हुए ''दुकान'' की परिभाषा के भीतर नहीं लाया जाएगा। उपरोक्त का कोई सार नहीं है। समग्र गतिविधियों पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि **बैंगलोर टर्फ क्लब लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखे गए परीक्षण को अपनाया जाता है, तो बी.सी.सी.आई. द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को वाणिज्यिक गतिविधियां कहा जा सकता है, जो टिकट बेचकर मनोरंजन प्रदान करती हैं। इसलिए, ई.एस.आई. अधिनियम के उद्देश्यों के लिए, बी.सी.सी.आई. को ''दुकान'' कहा जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय ने **बैंगलोर टर्फ क्लब लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में ई.एस.आई. अधिनियम के न्यायिक कानून होने के मामले में कहा और कहा कि इसका व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि ई.एस.आई. अधिनियम के अधिनियमन के उद्देश्य और हेतुक को प्राप्त किया जा सके, अर्थात् कर्मचारियों को बीमारी, महिला कर्मचारियों के मामले में मातृत्व, रोजगार में चोट आदि के मामले में कुछ लाभ प्रदान किए जा सकें।

11. अब, जहां तक बी.सी.सी.आई. के विद्वान अधिवक्ता का इस न्यायालय के

फैसलों **सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बैंगोल एवं अन्य, (1995) 2 एससीसी 161** एवं **कमिश्नर ऑफ सैल्स टैक्स बनाम साई पब्लिकेशन फंड, (2002) 4 एससीसी 57** पर निर्भरता की बात है ई.एस.आई. अधिनियम के प्रावधानों और/या ई.एस.आई. अधिनियम की प्रयोज्यता के उद्देश्यों पर विचार करते हुए, जो एक सामाजिक लाभकारी कानून है, उपरोक्त निर्णय लागू नहीं होंगे और/या बी.सी.सी.आई. को कोई सहायता नहीं दी जाएगी। **साई पब्लिकेशन फंड (उपरोक्त)** के मामले में, यह न्यायालय आयकर अधिनियम के प्रावधानों पर विचार कर रहा था। जैसा कि **बैंगलोर टर्फ क्लब लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में इस न्यायालय द्वारा अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है, जब वे एक ही विषय वस्तु से निपटते हैं तो दोनों कानूनों को एक दूसरे के साथ समान सामग्री कहा जाता है। यह आगे देखा गया है कि उपयोग किए गए शब्द किसी विशेष कानून में एक ही शब्द की व्याख्या करने के लिए एक अलग कानून में उपयोग नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में कि दोनों विधियां एक दूसरे के साथ समान रूप से नहीं है और एक दूसरे से पूरी तरह से अलग योजना है।

12. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, ई.एस.आई. न्यायालय और/या उच्च न्यायालय द्वारा बी.सी.सी.आई. को ई.एस.आई. अधिनियम की प्रयोज्यता के उद्देश्यों के लिए एक ''दुकान'' के रूप में माने जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है, जो एक सामाजिक क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारियों का राज्य बीमा निगम। (एम.आर.शाह, जे.) और लाभकारी कानून। यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने बी.सी.सी.आई. के संघ ज्ञापन के प्रासंगिक खंडों पर भी विचार किया है। निष्कर्ष यह है कि बी.सी.सी.आई. की गतिविधियों को टिकट आदि बेचकर मनोरंजन प्रदान करने वाली व्यवस्थित वाणिज्यिक गतिविधियां कहा जा सकता है। संघ के ज्ञापन पर समग्र रूप से विचार किया जाना आवश्यक है।

13. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम उनके द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते है। उच्च न्यायालय के साथ-साथ ई.एस.आई. न्यायालय। इस प्रकार, हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। विशेष अनुमति याचिकाएं तदनुसार खारिज की जाती है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

एसएलपी का निपटारा किया गया ।

(सचिन शर्मा,)